संख्या-171/2017/4072/26-3-2017-10(16)/2014

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0 प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 नवम्बर 2017

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-58/2016/102मंत्री/26-3-2016-10(16)/2014 दिनांक-28.03.2016 एवं निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-986/स.क./विकास/एकीकृत विकास योजना-81/2016-17, दिनांक-24.09.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर में विकास कार्यो (सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण) हेतु स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार अवशेष धनराशि रूपया-296.46 लाख (रूपया दो करोड़ छियानबे लाख छियालिस हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-सिद्धार्थनगर (लाख रूपये में)

| क्र.स. | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | कार्य का नाम | कार्य की स्वीकृत लागत | प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि | द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भनवापुर | सेखुई गोबर्धन | सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण | 99.360 | 39.00 | 60.360 |
| 2 | तदैव | अन्दुआ शनिचरा | तदैव | 99.160 | 39.00 | 60.160 |
| 3 | तदैव | पेंडरी मुस्तहकम | तदैव | 98.670 | 40.00 | 58.670 |
| 4 | तदैव | कठौतिया | तदैव | 98.710 | 40.00 | 58.710 |
| 5 | तदैव | धनोहरि | तदैव | 98.160 | 39.60 | 58.560 |
| | कुल योग | | | **494.060** | **197.60** | **296.460** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(रूपया-दो करोड़ छियानबे लाख छियालिस हजार मात्र)

(1)- प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य''के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-08 अगस्त 2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
उपसचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-171/2017/4072(1)/26-3-2017तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

3.जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

4.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5.अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।

6.जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

9.गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।